(108)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

अध्यक्ष, जिला आयोग, बक्सर–सह–प्रभारी अध्यक्ष, जिला आयोग, रोहतास के पत्रांक 123 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री विटेश्वर नाथ पाण्डेय सदस्य, जिला आयोग, रोहतास दिनांक 29.04.2025 से निरंतर अनुपस्थित हैं जिस कारण आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही कार्यालय, अधीक्षक मद्यनिषेध, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 1414 दिनांक 30.04.2025 द्वारा श्री विटेश्वर नाथ पाण्डेय, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास के पास से बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम अंतर्गत जब्त शराब की सूचना से भी अवगत कराया गया है।

विभागीय अधिसूचना सं0–2766 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा श्री राजीव सिंह, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास (सासाराम) को प्रशसनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बक्सर के रिक्त सदस्य पद पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास के सदस्य श्री विटेश्वर नाथ पाण्डेय के अनुपस्थित रहने के कारण श्री राजीव सिंह, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रोहतास (सासाराम) को प्रशासनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर जिला आयोग, रोहतास एवं जिला आयोग, बक्सर के सदस्य पद पर दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन–तीन दिन कार्य करेंगे।

2. जिला आयोग, बक्सर में सदस्य के नियमित पदस्थापन होने के पश्चात यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।
3. उपरोक्त जिला आयोगों से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
5. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

19/5/25

(विभूति रंजन चौधरी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– खाद्य (निदे0) प्र0–I–54 / 2024(खण्ड) 661 खाद्य,पटना / दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित अध्यक्ष, जिला आयोग / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव / प्रधान सचिव एवं निदेशक कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खाद्य (निदे0) प्र0–I–54 / 2024(खण्ड) 661 खाद्य,पटना / दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/5/25

निदेशक–सह–विशेष सचिव।